

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संचिका संख्या - 15/औ०-13-13/2024 पटना, दिनांक -.....2026

सुश्री/श्रीमती मृणाल, औषधि निरीक्षक, रोहतास-04 के द्वारा दिनांक-17.04.2026 से 07.05.2026 तक कुल-21 दिन उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०कौ०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1053(25) दिनांक-18.05.2026 द्वारा प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230 के आलोक में उपाजित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(सुरेन्द्र राय)

विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 15/औ०-13-13/2024 S14(15A) पटना/दिनांक:.....12/06/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले० एवं ह०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

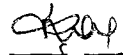
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना/सिविल सर्जन -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सुश्री/श्रीमती मृणाल, औषधि निरीक्षक, रोहतास-04 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
४४